अध्याय 4

4.1 निष्कर्ष

हालांकि रियायती 'घरेलू खपत दर' पर 'लौह अयस्क' का यातायात प्राप्त करने से पूर्व प्रेषिती द्वारा छः दस्तावेजों की अनिवार्य प्रस्तुति की आवश्यकता यातायात किए गए 'लौह अयस्क' के अंतिम उपयोग की जांच करने और सूचना की सत्यता के निर्धारण हेतु थी जिसके आधार पर रियायती दरों का दावा किया गया था और प्राप्त किया गया था, रेलवे ने अंतिम उपयोग की जांच के लिए इन दस्तावेजों का उपयोग नहीं किया था और 'घरेलू खपत' दरों पर 'लौह अयस्क' के यातायात हेतु विनिर्माताओं को अनुमति दी थी। प्रस्तुत दस्तावेजों की आरम्भिक संवीक्षा के लिए निर्धारित कोई जांच निर्धारित नहीं थी जिसके कारण रेलवे मई 2008 से सितम्बर 2013 की अवधि के लिए विनिर्माताओं द्वारा पूर्ण और वैध दस्तावेजों की प्रस्तुति को सुनिश्चित करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹12,722.65 करोड़ का मालभाड़ा अपवंचन हुआ। इसके अलावा, अपर्याप्त/भ्रामक या झूठे दस्तावेजों की प्रस्तुति ने ₹11,418.16 करोड़ की शास्तिआकृष्ट की जिसे विभिन्न चूककर्ता कम्पनियों से उदग्रहीत किया जा सकता था। हालांकि रेलवे बोर्ड ने घरेलू खपत दर पर प्रभारित मालभाड़ा पर रेल द्वारा बुक एवं यातायात किए गए लौह अयस्क की कुल मात्रा में से लौह अयस्क फाइन्स के सृजन हेतु 25 प्रतिशत की सीमा तक मान्यता दी थी फिर भी इसने मई 2009 के दर परिपत्र 36 की फ्रेमिंग के समय पर इन सुझावों पर विचार नहीं किया और निर्यात या बिक्री हेतु लौह अयस्क के बड़े स्तर पर हटाव के लिए गुंजाइस छोड़ते हुए लौह अयस्क फाइन्स के अपशिष्ट/छोड़ी गई मात्रा के लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की थी।

रेलवे ने कम्पनियों के परिसरों से विनिर्माताओं द्वारा 'लौह अयस्क' के हटाव के औचित्य का निर्धारण भी नहीं किया था और जहां संभव या हटाव की अनुमत सीमा को निर्धारित नहीं किया गया था। रेलवे उन मामलों का पता लगाने के लिए इन प्रेषितियों के ईआरज में दिए गए हटाव के ब्यौरों की नोटिंग करने में भी विफल रहा जहां 'घरेलू खपत' पर रेल द्वारा यातायात किए गए 'लौह अयस्क' को घरेलू उपयोग के लिए नहीं रखा गया था। लेखापरीक्षा ने ईआरज में 'लौह अयस्क' की कम रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप 61 प्रेषितियों के संबंध में ₹5095.97 करोड़ शास्ति निर्धारित की थी जिसका तात्पर्य है कि लौह अयस्क का फैक्ट्री परिसर में लाने से पहले विचलन कर दिया गया था और इस प्रकार 'घरेलू उपयोग' के लिए नहीं रखा गया था।

'लौह अयस्क' लदान के लिए रेकों के वास्तविक उत्पादन/आवश्यकता पर कुछ विनिर्माताओं, जिन्हे प्राथमिकता डी के अन्तर्गत वेगन रेक आबंटित किए गए थे, के संबंध में रेलवे द्वारा विचार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, माननीय हस्तक्षेप द्वारा आरएएस के माध्यम से प्राथमिकता सी और प्राथमिकता डी के लिए रेंको को आबंटन किया गया था जिसने प्रणाली के दुरूपयोग के जोखिम को दर्शाया।

रेलवे ने डीएफपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण, जांच और शेष स्थापित नहीं किए थे। सीआईज और टीआईएसए द्वारा 'लौह अयस्क' से संबंधित संव्यवहारों पर विशेष जांच करने के लिए रेलवे बोर्ड ने कोई आदेश नहीं दिए थे मूल्यांकन रिपोर्टों के रूप में दिए गए मॉनीटरिंग तंत्र नीति में सुधार और विभिन्न पर्यवेक्षण प्राधिकरणों द्वारा बताई गई अनियमितताओं और कमियों पर उपचारात्मक कार्रवाई के लिए सुझावों का प्रावधानों नहीं करते। ये रिपोर्ट अधिकतर क्षेत्रीय रेलवे द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी। नीति के उचित कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। दर परिपत्रों में दिए गए प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं था।

यद्यपि सर्तकता विभाग/दपूरे ने एफओआईएस में प्रत्येक परिवाहक को यूनिक पहचान का आबंटन करने के और यथा अपेक्षित डाटा का उपयोग करने के लिए प्रेषिती की उत्पाद शुल्क पंजीकरण संख्या प्राप्त करने और लौह अयस्क लम्प्स या लौह अयस्क फाईन्स जैसे मुख्य इनपुटों के ब्यौरें एकत्र करने और मासिक उत्पाद शुल्क विवरणी ईआर 6 के माध्यम से विनिर्माण कार्यकलापों में उनका उपयोग करने की सलाह ही थी किन्तु ये सुझाव कार्यान्वयन हेतु लम्बित है।

उत्पाद शुल्क विभाग के साथ इलेक्ट्रानिक्स डॉटा का सहभाजन, संयंत्र क्षमता के साथ संग्रहण लदान की आवधिक रूप से तुलना, ईआर-6 फार्म प्राप्त करना और लौह अयस्क फाइन्स का लदान करने वाले विनिर्माताओं पर नजर रखने के लिए तंत्र जैसे सुझावों को अंतिम निर्णय के लिए अक्तूबर 2012 में रेलवे बोर्ड को भेजा गया था। रेलवे बोर्ड का निर्णय अभी प्रतीक्षित है (नवम्बर 2014)।

4.2 सिफारिशें

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित सिफारिशें की गई है-

- *चूंकि, शास्ति प्रेषितियों द्वारा पहले ही लाभ प्राप्त करने के बाद केवल एक निवारक है, इसलिए रेंकों की आवश्यकता के निर्धारन रेकों के आबंटन, लदान और उतराई के लिए मांगों की स्वीकृति से ही सभी स्तरों पर स्थापित किए गए प्रावधानों के कड़ाई से अनुपालन और आरम्भिक*

संवीक्षा और जांच के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। प्रभावी कार्यान्वयन मालभाड़ा अपवंचन को रोकेगा जैसाकि लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है।

- *रेलवे को घरेलू दर पर यातायात किए गए लौह अयस्क के अंतिम उपयोग के सत्यापन हेतु जांच और उपायों को शुरू करने की आवश्यकता है। निर्धारित दस्तवेजों की प्रस्तुति के उद्देश्य और महत्व विशेष रूप से पहचाना जाना चाहिए और उक्त का कर्मठता से पालन किया जाए। आन्तरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ किया जाए जिससे कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की सत्यता, वैद्यता और पूवर्तनीयता की रियायती टैरिफ दरों की अनुमति देने से पूर्व जांच की जा सके। प्रेषक/प्रेषिती द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज 'घरेलू खपत दरों, पर 'लौह अयस्क' की बुकिंग और सुपुर्दगी से पहले निर्धारित शर्तों के कड़े अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत संवीक्षा के विपयाधीन होंगे।*

- *रेलवे लौह एवं इस्पात विनिर्माण कम्पनियों के लिए यथा सत्यापन के बाद जहॉ भी संभव हो, लौह अयस्क फाइनस के हटाव के औचित्य और हटाव की अनुमत सीमा का निर्धारण करेगा जिससे कि रियायती घरेलू टैरिफ प्राप्त करने के बावजूद फाइनस की उच्चतर प्रतिशतता को हटाने और तीसरी पार्टी व्यापार के द्वारा लौह एवं इस्पात विनिर्माण कम्पनियों हेतु प्रावधानों के दुरूपयोग के जोखिम को कम किया जा सके।*

- *रेलवे रेक आंबटन की प्रणाली को सुदृढ़ करे एवं अत्यंत आवश्यक होने तथा कारणों एवं औचित्य को अभिलिखित करने के बाद ही मात्र रेको के मानवीय आंबटन का सहारा ले। ग्राहकों को रेकों का आंबटन करने से पहले प्राथमिकता डी ग्राहकों की आवश्यकताओं के निर्धारण के लिए प्रावधान निर्धारित किए जाएं। प्राथमिकता डी के तहत प्राथमिकता सी ग्राहकों की माँगसूची स्वीकार करने एवं रेकों के आंबटन के निर्णय के तर्कधार पर दोबारा विचार किया जाए एवं आवश्यक नियंत्रण प्रारंभ किये जाएं।*

- *रेलवे ईआर 1 सहित ईआर 6 के संग्रहण के माध्यम से लौह एवं इस्पात विनिर्माण कम्पनियों द्वारा लौह अयस्क प्राप्तियों , खपत और हटाव के संबंध में प्राप्त आंकडों की व्याख्या करेगा। एक जांच तथा नियंत्रण तंत्र को रियायती दर पर लदान की अनुमति देने से पूर्व चयनित कम्पनियों, उत्पादन क्षमता सहित खपत, सीआरआईएस डाटा आदि से लदान ऑकडों*

सहित कुल प्राप्तियों के सत्यापन हेतु बनाया जाएगा। इन दस्तावेजो के संग्रहण के उद्देश्य की स्पष्ट रूप से व्याख्या भी करेगा और क्षेत्रीय स्तर पर स्टॉफ को सूचित करेगा।

- *वाणिज्यिक निरीक्षकों द्वारा निरीक्षणों की आवधिकता को प्रदत समय सीमा में सभी लदान/उतराई केंद्रों के पूर्ण कवरेज को सरल बनाने के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए फील्ड स्तर पर स्टाफ को नीति के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।*

- *रेलवे सर्तकता द्वारा दिए गए सुझावों की व्यवहार्यता का आकलन करे और उन्हें लागू करने के लिए कार्रवाई करे। रेलवे दोहरा मालभाड़ा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मालभाड़ा प्रचालन के विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण, मॉनीटरिंग तथा रिपोर्टिंग को भी सुदृढ़ करें।*

- *वस्तु कोड के कड़े अनुपालन को 'लौह अयस्क' रेकों की बुकिंग करते समय सुनिश्चित किया जाए जिससे कि कम्पनियों के प्रति वस्तुवार लदान पर नजर रखी जा सके। एक यूनिक कोड भी ग्राहकों से संबंधित सभी संव्यवहारों की मॉनीटरिंग और नियंत्रण के लिए उनकों आबंटित किया जाए।*

(सुमन सक्सेना)

नई दिल्ली **उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

दिनांक:

प्रति हस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)

नई दिल्ली **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

दिनांक: